न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–63 / 2020
बिहार सरकार द्वारा अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा बनाम मनोज पूर्वे

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
13/3/2020 18/3/2020	**आदेश** प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा के पत्रांक–272 / म0नि0 दिनांक–15.02.2020 से प्राप्त उत्पाद वाद कांड सं0–156 / 2020 (दरभंगा व्यवहार न्यायालय) में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त Piaggio APE Tempo रजि0 नं0–BR07PB-8105 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें है। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि उत्पाद पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल द्वारा गश्ती के क्रम में गोपालपुर रेलवे गुमती के पास वाहन चेकिंग के दौरान दूर से गश्ती दल को देखकर एक टेम्पू चालक भागने लगा तत्पश्चात उनका पीछाकर रोकने के उपरान्त विधिवत तलाशी लेने पर उक्त टेम्पू के पिछले हिस्से से 08 बोरा में से कुल 1185 सीलबन्द बोतल 300 एम0एल0 वाला नेपाल निर्मित देशी शराब बरामद हुआ जिसे दो गवाहों के समक्ष विधिवत् जब्त किया गया। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार एवं परिवहन प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त वाहन का राज्यसात् होना चाहिये। विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी उक्त वाहन टेम्पु के वास्तविक स्वामी हैं। विपक्षी निर्दोष है, विपक्षी उक्त वाहन टेम्पु को भाड़ा पर चलाने हेतु ड्राईवर को दिया था, उसके द्वारा गलत काम किया गया और पुलिस द्वारा पकड़ा गया। विपक्षी का कोई दोष नहीं है। अतः उक्त वाहन को मुक्त करने की कृपा की जाय। उभयपक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाहन टेम्पु रजि0 नं0–BR07PB-8105 से, भारी मात्रा में 08 बोरा में से कुल 1185 सीलबन्द बोतल 300 एम0एल0 वाला नेपाल निर्मित देशी शराब बरामद हुआ जिसे दो गवाहों के समक्ष विधिवत् जब्त किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का कथन कि विपक्षी के ड्राईवर द्वारा उक्त वाहन को भाड़ा पर चलाने के क्रम में गलत काम किया गया। विपक्षी निर्दोष है। इस संबंध में विपक्षी के वाहन का दुरूपयोग यदि ड्राईवर अथवा अन्य व्यक्ति के द्वारा अवैध शराब के	

परिवहन में उपयोग किया गया है तो विपक्षी उस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में उत्पाद वाद कांड सं0–156/2020 (दरभंगा व्यवहार न्यायालय) में जब्त टेम्पू रजि0 नं0–BR07PB-8105 को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है,

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा